



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 2019/ज्येष्ठ 20, 1941

No. 346]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2019/JYAISTHA 20, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2019

सा.का.नि. 413(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उपधारा (1), लागत और संकर्म लेखपाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.835(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (1) के सामने में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

“न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग,

अध्यक्ष”

न्यायाधीश (सेवानिवृत्त),

दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 12/15/2007-पीआई]

राजीव बंसल, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना, संख्यांक सा.का.नि.835(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्या 1130(अ) तारीख 13 दिसम्बर, 2016 और सा.का.नि. संख्या 171(अ), तारीख 1 मार्च, 2019 द्वारा उसका संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2019

G.S.R. 413(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, vide number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015, namely:—

In the said notification, against serial number (1), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Shri Justice S.P. Garg, Chairperson”.

Judge (Retd.)

High Court of Delhi,

New Delhi.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.12/15/2007-PI]

RAJIV BANSAL, Addl. Secy. & Financial Advisor

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 1130(E), dated the 13th December, 2016 and G.S.R. 171(E), dated the 1st March, 2019.